

24.7.17 वकील प्रार्थी उपर 72 की मियाद आगामी पेशी तक बढ़ाई जाकर मूल वाद के साथ पत्रावली दिनांक 21-8-17 को पेश हो।

26.9.17 दिनांक 21-8-17 को कार्यवाही (गण) के राज्य स्तर पर (प्राथमिक) व्यवस्था में होने के कारण पत्रावली का पेशी में प्रस्ताव है।  
भाज पीठासीन अधिकारी (अपकोर) पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/10/17 को पेश हो।

25/10/17 वकील प्रार्थी उपर 72 की मियाद आगामी पेशी तक बढ़ाई जाकर मूल वाद के साथ पत्रावली दिनांक 27-11-17 को पेश हो।

27.11.17 पत्रावली पेश हुई। वकील उपर पर उपरिपर वास्ते आगामी पेशी 30.11.17 को पेश हो।

30.11.17 प्रतिवादी की प्रार्थना की पूर्णता प्राप्त होने से मूल वाद को चलाए जाने की कोशिका के अन्तर्गत है। उक्त वाद खारिज इर निर्णय विरा प्रार्थना है। उक्त प्रकरण में जारी स्टम्ब को खारिज करते हुए मूल पत्रावली के निर्णय होने के कारण वास्ते का फलर विरा जाता है। निर्णय करे प्रमाण सुनाता

(यमरा गरीब) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)